भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **4734**
दिनांक **22** जुलाई**,** 2019

तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

4734. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री गरीश भालचन्द्र बापटः
श्री वनायक भाऊराव राऊतः
श्री चंद्र शेखर साहूः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सारा ऊर्जा भार तरल पेट्रो लयम के ऊपर पड़ रहा है और देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लए पर्याप्त कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन नहीं कर पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार गत लाइसें संग चक्र के नतीजों को नहीं देख पा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लाइसें संग औपरेटिंग रेजिम से दु वधओं को दूर करने में आ रही चुनौतियों का सामना कर रहे निवेशकों के साथ कारोबार करने के लए तथा यह सुनिश्चित करने के लए हमारे ठेकेदार निवेशक हितैषी हैं और क्या कदम उठाए गए हो/ठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में तेल और गैस उत्पादन तथा आपूर्ति में आ रहे इस गतिरोध को/अवरोध को दूर करने के लए उठाए गए/ठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रका शत रिपोर्ट ऊर्जा सांख्यिकी, 2019 के अनुसार वर्ष 2017-18 में व भन्न स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत में 34.32% कच्चे तेल से थी। पछले तीन वर्षों के दौरान, कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन के म लयन मीट्रिक टन (एमएमटी) में और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के ब्यौरे म लयन मीट्रिक मानक घन मीटर (एमएमएससीएम) में और आयात पर निर्भरता निम्नानुसार है :-

	2016-17	2017-18	2018-19
कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन (कंडेनसेट सहित) एमएमटी में	36.0	35.7	34.2
कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता	81.7%	82.9%	83.7%
प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन (एमएमएससीएम में)	31,897	32,649	32,873
प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता	44.6%	46.4%	47.2%

(ख): हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसें सग नीति (एचईएलपी)/खुला रकबा लाइसे संग नीति (ओएएलपी) के पहले बोली दौर में अक्तूबर, 2018 में 59,282 वर्ग क.मी. रकबा क्षेत्र वाले 55 ब्लाक प्रदान कए गए हैं। ओएएलपी बोली दौर-II और III के तहत 59000 वर्ग क.मी. रकबा क्षेत्र वाले 32 ब्लाक दिनांक 16 जुलाई, 2019 को प्रदान कए गए हैं। खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति के पहले बोली दौर में 20 कंपनियों के साथ मार्च, 2017 में 43 खोजे गए लघु क्षेत्रों के लए कुल 30 सं वदाओं पर हस्ताक्षर कए गए थे। डीएसएफ दौर-II में 3000 वर्ग क.मी. क्षेत्र में फैले हुए 23 सं वदा क्षेत्र दिनांक 07 मार्च, 2019 को प्रदान कए गए हैं।

(ग) और (घ) : निवेशकों संबंधी चुनौतियों का सामना करने और लाइसें संग प्रचालन व्यवस्थाओं में संशयों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) हाइड्रोकार्बन खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लए उत्पादन हिस्सेदारी सं वदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत रियायतों, अव ध बढ़ाए जाने और स्पष्टीकरणों के लए नीति।

(ii) खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति।

(iii) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसें संग नीति।

(iv) उत्पादन हिस्सेदारी सं वदाओं की अव ध बढ़ाने के लए नीति।

(v) कोल बैड मथेन से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लए नीति।

(vi) एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्लॉकों में उत्पादन हिस्सेदारी सं वदाओं की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लए नीतिगत ढांचा।

(vii) तेल और गैस के लए व र्धत निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लए नीति।

(viii) मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी सं वदाओं, कोल बेड मथेन सं वदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन हेतु नीतिगत ढांचा।

(ix) सरकार ने अन्वेषण कार्यकलाप बढ़ाने, तलछटीय बे सनों के गैर-अन्वे षत/गैर-आबंटित क्षेत्रों में घरेलू और वदेशी निवेश आक र्षत करने और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी, 2019 में अन्वेषण और लाइसें संग नीति में प्रमुख सुधारों को अनुमोदित कर दिया है। नीतिगत सुधारों का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ कार्य कार्यक्रम को और ज्यादा प्राथ मकता देते हुए अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, राजकोषीय और सं वदागत शर्तों को सरल बनाना, सरकार के साथ बगैर कसी उत्पादन अथवा राजस्व हिस्सेदारी के श्रेणी 2 और 3 के तलछटीय बे सनों के संबंध में अन्वेषण ब्लॉकों की बोली, राजकोषीय प्रोत्साहन दे कर खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करना, वपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी सहित गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना, नवीनतम प्रौद्यो गकी और पूंजी को शा मल करना,नामांकन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की पद्धतियों के लए सहयोग तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु राष्ट्रीय तेल कंपनियों को काम करने की और ज्यादा आजादी देना, अनुमोदन की प्र क्रयाओं को व्यवस्थित करना तथा इलैक्ट्रोनिक एकल खड़की व्यवस्था सहित कारोबार में आसानी को बढ़ावा देना है।

(x) कारोबार में आसानी: मानक प्रचालन प्र क्रयाओं (एसओपीज) का निर्धारण, सं वदागत/सां व धक मंजूरियों के शीघ्र अनुमोदन हेतु ऑनलाइन कार्रवाई और इलैक्ट्रॉनिक एकल खड़की। व भन्न मंत्रालयों/वभागों/एजें सयों से अनुमोदन/मंजूरियां प्रदान करने के कार्य को व्यवस्थित करने और उसमें शीघ्रता करने के लए मंत्रिमंडल स चव की अध्यक्षता में अ धकार प्राप्त समन्वयन स मति (ईसीसी) का गठन।

****